160(क)रवीन्द्र सिंह तोमर द्वारा मोटिवेटेड और मोटिवेटर की अच्छी व्याख्या।

(ख)रत्नभूषण जी द्वारा इण्डिपेन्डेंस ट्रीटी तथा भारतीय संस्कृति के महत्व की चर्चा और उत्तर।

(ग) राम प्रताप गुप्त द्वारा डिजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि का समर्थन और मेरी विस्तृत उत्तर।

(घ) रामकृष्ण पौराणिक , सागर द्वारा मेरी प्राथमिकतायें बदलने का सुझाव व उत्तर।

प्रश्नोत्तर

(क)श्री रवीन्द्र सिंह तोमर संवाद सरोवर विवके कौंलोनी गुना म0प्र0

सुझाव—ज्ञान तत्व निरन्तर मिल रहा है अंक 156 में दो शब्द मोटी बेटर और मोटिवेटेड आए। राजनीति में मोटी बेटर, धूर्त, मोटी बेटेड अबोध होता है। साहित्य व अन्य विषयों में मोटी बेटेड जिज्ञासू और मोटी बेटेड ज्ञानी होता है।

मोटी बेटेड ही आगे चल कर मोटी बेटर बनता है। उसने कितनी गहराई तक ज्ञान प्राप्त किया या नही किया जनता समझती है। अच्छा होता ज्ञान तत्व चलते फिरते विघालय का काम करें। विगत 13 वर्षो में कितने आप से मोटी बेटेड हुए। अपनी प्रश्नावली के उत्तर ही सही करके बता पायेंगे।

डा0 लोहिया का संवाद प्रयोग ही संघ की राजनैतिक महत्वाकांक्षा का जन्म है। गॉधी जी की हत्या में सावरकर और उनके साथी मोटी बेटर थें मोटीबेटर कानून में छिद्र ढूंढते हैं यही कारण है 30 जनवरी 48 को कांग्रेस विरोधी क्षेत्रों राज्यों में घी के दिये जलाये गये थें संघ का राजनैतिक वर्चस्व न हो आल इंडिया कमेटी ने निर्णय लिया था ।

उत्तर — आपने मोटी बेटर और मोटीबेटेड की स्पष्ट और अच्छी व्याख्या की है। मेरा भी ज्ञान बढ़ा है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति कुछ मामलों में मोटी बेटेड और कुछ मामलों में मोटी बेटर होता है किन्तु कुछ ऐसे विशेष मामले भी होते है जिनमें कुछ लोग समर्पण की स्थिति तक मोटी बेटेड बन जाते हैं। वे ऐसे विषयों पर ना कोई तर्क सुनना चाहते है ना कुछ समझना चाहते हैं। व्यक्ति के रूप में तो ऐसे अनेक मोटी बेटर मिलते हैं किन्तु संगठन के रूप में संघ इस्लाम और साम्यवाद अभी विशेष प्रभाव रखते हैं। गोडसे एक ऐसा ही संघ प्रभावित व्यक्ति था।

(ख)प्रश्न — श्री रतन भूषण जी, जुहू स्कीम, वेस्ट बम्बई महाराष्ट्र 400056 श्री जयेन्द्र रमण लाल शाह अहमदाबाद वालों के सौजन्य से आप की लिखी पुस्तकें तथा ज्ञान तत्व के अंक पढ़ने को मिले। आपका प्रयास अद्वितीय है। विचार मंथन को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया ही निष्कर्ष निकालने का आधार है। विचार मंथन के अभाव में विचार प्रसार सिर्फ विचार प्रचार मात्र ही होता है जो बहुत घातक हेाता है आप ठीक दिशा में बढ रहे है।

भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करने के पूर्व भारतीय संविधान की संवैधानिक स्थिति पर विचार करिये। अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बने संविधान को स्वीकृति देते समय भारत का अंग्रेजों के साथ जो गुप्त समझौता हुआ और जिसे इन्डिपेन्डेन्स ट्री टी कहा जाता है वह हमें सविधान में ऐसा संशोधन करने देगी क्या ? संविधान संशोधन पर चर्चा के पूर्व वह ट्री टी प्राप्त की जावे। जब तक वह बाधा नहीं दूर हो जाती तब तक हमारे प्रयत्न बेकार होंगे। हम उस प्रस्ताव की एक कॉपी प्राप्त करें जो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ था। किसी भी विदेशी को वोट देने का अधिकार खतरनाक होगा। उन्हें जमीन भी खरीदने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अनेक इस्लामिक देशों में ऐसी परंपरा है भी। यदि हम सर्तक न रह कर विदेशियों को छुट देते रहे तो बहुत घातक होगा।

धार्मिक मामलों में भी व्यवहार की भिन्नता आवश्यक है। जैन, बौद्ध सिख आदि तो भारतीय विचारधारा के हैं किन्तु इस्लाम, ईसाई आदि विदेशी मूल के हैं। हमें चाहिए कि हम इस फर्क को समझकर ही अपनी नीति बनावें। आप चूंकि बहुत गहराई से सोचते हैं तथा दूसरों की सोच को भी महत्व देते हैं इसलिए ही मैंने कुछ सुझाव दिये हैं।

उत्तर— आप के तीन सुझाव हैंः **1.** स्वतंत्रता के समय के समझौते का अध्ययन **2.** विदेशियों को समान अधिकार से वंचित करना **3**. विदेशी धर्मो के प्रति विशेष सतर्कता ।

गुप्त समझौते की बात मैंने कई विद्धानों के मुॅह से सुनी। मुक्तानन्द जी तो बहुत जोर देकर ऐसा दावा करते थे। वे चले गये किन्तु ऐसी कोई ट्री टी प्रकाश में नहीं ला सके। मैं अपने प्रयत्नों के पूर्व अस्तित्वहीन भूत की खोज में भक्ति लगाने के पक्ष में नहीं। ट्री टी का प्रचार एक ऐसा ही भूत है। जब वह हमारे मार्ग में आयेगा तब निपट लेंगे। मेरे विचार में ऐसी कोई ट्री टी नहीं है यदि है तो वह बाधक नहीं है और बाधक होगी तो उसे दूर कर लेगें। फिर भी यदि आप इस संबंध में अधिक सतर्क हैं तों उसे दूर कर लेगें। फिर भी यदि आप इस संबंध में अधिक सतर्क हैं तो हम अपनी राह चल रहे हैं आप उस प्रस्ताव और उसके खतरों से हमें अवगत करा देगें तो

बहुत अच्छा होगा तब तक हम ऐसी खतरों से हमें अवगत करा देंगे तो बहुत अच्छा होगा तब तक हम ऐसी ट्री टी या प्रस्ताव के भय से मुक्त हैं।

आपके दो सुझाव आपकी सतर्कता की अपेक्षा हीन भाव से अधिक प्रभावित दिखते हैं। भारतीय संस्कृति विचार मंथन के आधार पर निष्कर्ष निकालती है, इस्लामिक संस्कृति विचार मंथन के स्थान पर बल प्रयोग का सहारा लेती है और पाश्चात्य संस्कृति विचार प्रचार का। विचारमंथन के अभाव ने इतना भयभीत कर दिया है कि हम ऐसे विदेशियों से बहुत दूरी बना कर रखना चाहते हैं। जब भारत पर इस्लाम ने सैनिक आक्रमण किया उस समय हम सामाजिक धरातल पर तो मजबूत थे और राजनैतिक धरातल पर कमजोर। मुसलमानों ने बौद्धिक विचार मंथन की अपेक्षा बल प्रयोग का सहारा लिया और हम हार गये। हम गुलाम हो गये अंग्रेजों ने इस्लामिक बल को छल से परास्त कर दिया और हमारी गुलामी अंग्रेजों के पास स्थानान्तरित हो गयी। अब स्वतंत्र भारत में भी हमारे कुछ साथी उस गुलाम मानसिकता से मुक्त नहीं हा रहे। कुछ लोग वास्तव में ऐसे भयग्रस्त हैं किन्तु दूसरे लोग हमें इस स्वदेशी सुरक्षा के खतरे का भय दिखा–दिखा कर अपनी दुकानदारी भी चलाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी विदेशी के पास हमसे भी इतनी अधिक बौद्धिक क्षमता है कि वह अपने वोट या निवास के बल पर हम पर विजय प्राप्त कर लें। किसी बात को बहुत बढ़ा–चढ़ा कर अपना मनोबल गिराना ठीक नहीं। यदि विदेशी लोग भारत में समान अधिकारों के आधार पर रहना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि उन्हें विशेष सुविधा या विशेष अधिकार चाहिये तो वे हमसे दूर रहें। भारत में किसी को भी विशेष अधिकार न हो, भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का प्रावधान न हो, भारत में धर्म परिवर्तन कराने की छूट न हो इससे मैं सहमत हूँ किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं कि दूसरों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाय या उन्हें धर्म प्रचार से भी रोक दिया जायें। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मान्यता अनुसार धर्म स्वीकार करने की छुट होनी चाहिए। मुसलमान देश ऐसी छूट से डरते हैं क्योंकि यदि विचार मंथन को धर्म प्रचार और धर्म परिवर्तन का आधार मान लिया जाए तो इस्लाम या ईसाईयत के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है, विशेष कर इस्लाम के समक्ष क्योंकि वहॉ तो विचारमंथन के द्धारा ही अन्तिम रूप से बन्द हैं तथा कुरान ने मंथन की सीमायें निर्धारित कर रखी हैं। यही कारण है कि मुस्लिम देश कानून द्धारा ऐसी स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं। आपका सुझाव है कि हम भी उनकी नकल करें यह ठीक नहीं।

मुझे उम्मीद है कि आप अपनी हीन भावना को छोड़ेंगे और विचार मंथन की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे।

(ग)श्री राम प्रताप गुप्त, प्रोफेसर तथा अर्थशास्त्र विशेषज्ञ। द्वारा सर्वोदय प्रेस सर्विस, इन्दौर (म0प्र0)

सुझाव– पिछले 08–10 सालों में तेल की अर्न्तराष्ट्रीय कीमत में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सन् 1999 में तेल की कीमत मात्र 10 डालर प्रति बैरल के लगभग थी जो कुछ दिनों पूर्व 140 डालर से भी अधिक हो गयी थी एक वर्ष पहले ये 95 डालर प्रति बैरल थी इस भरी वृद्धि की पृष्ठभूमि में जब हम भारत में तेल की आन्तरिक कीमतों पर नजर डालते हैं हम पाते हैं सरकार के हर संभव प्रयास रहे हैं कि ये या तो स्थिर रहें या इनमें न्यूनतम वृद्धि की जाए। पिछले एक वर्ष में तेल के अर्न्तराष्ट्रीय मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि के बाद भारत सरकार ने 5 जून को इसकी कीमत में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि की है। हमारी सरकार तेल की कीमतों को स्थिर बनाये रखने में अपनी सफलता को एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानती है प्रश्न यह उठता है कि कीमतों के निम्न स्तर का लाभ जनता के किस वर्ग को मिल रहा है और इन्हें स्थिर बनाये रखने की लागत किस वर्ग द्वारा उठायी जा रही है।

भारत में तेल की कुल खपत का 75 प्रतिशत भाग आयातित होता है तथा 25 प्रतिशत देश के उत्पादित होता है इन वर्षो में सरकार द्वारा अपनाई गयी नीतियों के परिणाम स्वरूप तेल के आयात में दिनों दिन वृद्धि हो रही है तेल का आंतरिक उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और आईल इण्डिया द्वारा किया जाता है कुछ निजी कंपनियां भी तेल के नये स्त्रोतों को खोजने का प्रयास कर रही हैं परन्तु अभी तक उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली है इन दिनों आम जनता के बीच यह धारणा फैलाई जा रही है कि तेल उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत् हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि तेल की उत्पादन लागत उसकी बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में बहुत कम होती है इसी पृष्ठभूमि में यह भी कहा जा रहा है कि तेल की अंर्तराष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि की स्थिति में आंतरिक मूल्य को स्थिर रखने के प्रयास में जो घाटा होता है उसे बजाय मूल्य वृद्धि के आंतरिक तेल उत्पादक कंपनियों के मुनाफे और सरकारी करों के दर में कमी करके पूरा कर लिया जाए। यही किया भी जा रहा है। पेट्रोल मंत्री मुरली देवड़ा इस हेतु सरकार पर दबाव बनाने में सफल भी रहे है।

यदि हम आयातित तेल की कीमत 120 डालर प्रति बैरल चुका रहे हो तो उस स्थिति में प्रयुक्त कच्चे तेल की लागत 31.70 रूपया होगी इसमें अगर उसके परिशोधन , परिवहन, सरकारी कर आदि की लागत को जोड़ दे ंतो डीजल की लागत 54 रूपया प्रति लीटर आयेगी। इस समय डीजल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 3.57 रूपया प्रति लीटर है तथा राज्यों के विक्रय कर औसतन 09 रू0 प्रति लीटर है। डीजल का वर्तमान विक्रय मूल्य 39 रूपया प्रति लीटर है। इसी तरह पेट्रोल के उत्पादन में घाटा 5 से 8 रूपया प्रति लीटर केरोसीन पर 33 रूपये प्रति लीटर और प्रति गैस सिलेन्डर पर 350 रूपये है आयातित कच्चे तेल की ऊॅची कीमतें एवं देश में उससे उत्पादित डीजल, पेट्रोल ,केरोसीन, रसोई गैस आदि के मूल्यों को निम्न स्तर पर बनाये रखने के लिये सरकार को अनुमानतः 185000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है। इस घाटे को

सरकार देश में तेल उत्पादन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मुनाफे से पूरा कर रही है। अगर सरकारी तेल कंपनियों का मुनाफा आयातित कच्चे तेल के उत्पादों की देश मे नीची कीमतों के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने में प्रयुक्त नहीं किया जाता तो उस राशि के अन्य उपयोग संभव थे। जिनसे राष्ट्र वंचित हो रहा है।

प्रश्न यह है कि देश में उत्पादित तेल पर प्राप्त लाभ के आयातित तेल के उत्पादों के मूल्यों को नीचा रखने से उत्पन्न घाटे को पूरा करने में प्रयुक्त न कर अगर अन्यत्र उपयोग किया जाता तो उससे लाभ प्राप्त करने वाला जनता का कौन सा वर्ग होता और आज इन उत्पादों की निम्न स्तरीय कीमतों का लाभ लेने वाला वर्ग कौन सा है? डीजल और पेट्रोल की निम्नस्तरीय कीमतों का मुख्य लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या के कारों और दुपहिया वाहनों के स्वामियों को मिल रहा है। सस्ता डीजल सार्वजनिक परिवहन के स्थान पर निजी परिवहन कारों, जीपों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। विगत वर्षो में सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी परिवहन की सुविधाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। ऐसा कहा जा सकता है कि केरोसीन और रसोई गैस की कीमतों के निम्न स्तर का लाभ जनता को मिल रहा है परन्तु केरोसीन के एक बड़े भाग का उपयोग वाहनों के स्वामी डीजल में मिलावट के लिए कर रहे हैं । इसी तरह रसोई गैस का उपयोग भी कारों, जीपों आदि को चलाने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर सस्ते पेट्रोल डीजल का मुख्य लाभ का एक बड़ा हिस्सा भी हड़प कर आम जनता को वास्तविक लाभ से वंचित कर रहे हैं। साथ ही सार्वजनिक वाहनों के स्थान पर निजी वाहनों जैसे कारो, दुपहिया वाहनों आदि के बढ़ते उपयोग के कारण भी पेट्रोल डीजल की खपत में वृद्धि के कारण हमारा तेल का आयात भी अनावश्यक रूप से बढ़ रहा है। इसी वजह से हमारा व्यापार घाटा भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा हैं। तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण हमें तेल के निर्यातक राष्ट्रों के समक्ष झुकना भी पड़ता हैं।

अगर हमारी सरकार तेल उत्पादों की कीमतों को कम न रख कर उन्हें आयातित मूल्यों के समकक्ष करने की नीति अपना लेती तो उस स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को आयातित तेल का घटा पूरा करने का दायित्व नहीं उठाना पड़ता और उस स्थिति में सरकार इस राशि का उपयोग देश में शिक्षा स्वास्थ्य आदि के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार के लिए कर पाती। तेल उत्पादों के मूल्यों को कम रखने से लाभ तो मुख्य रूप से उच्च मध्यम वर्ग को होता है। किन्तु शिक्षा स्वास्थ्य के खर्च में कटौती का नुकसान निम्न मध्यम वर्ग को होता है जो घातक है। व्यापक हितों के लिए इस नीति पर फिर से विचार करना चाहिए।

उत्तर — खनिज तेल का मूल्य निर्धारण करने में निम्न मुद्दों पर विचार करना चाहिए :—

01. मुद्रा स्फीति **2**. विदेशी मुद्रा **3.** श्रम मूल्य **4.** अन्य उर्जा श्रोत **5.** लाभान्वित वर्ग

01. मुद्रा स्फीति –मूल्य वृद्धि दो प्रकार की होती है ।

क. वास्तविक मूल्य वृद्धि , **ख.** पुनर्मूल्यांकन। मुद्रा स्फीति के सूचकांक के आधार पर की गई मूल्य वृद्धि वास्तविक मूल्य वृद्धि न होकर पुनर्मूल्यांकन मात्र होती है जिसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता। पिछले साठ वर्षो में खनिज तेलो में मूल्य वृद्धि कभी हुई ही नही है। इराक युद्ध के समय आंशिक वृद्धि हुई थी जो बाद में पुनर्मूल्यांकन में ही समायोजित कर ली गई। पिछले तीन वर्षो की तुलना में मुद्रा स्फीति से कम मूल्य वृद्धि की जिसका सीधा प्रभाव हुआ कि वास्तविक मूल्य के आधार पर खनिज तेल और सस्ते हो गये। एक तरफ तो तेलों को सस्ता किया दूसरी ओर मूल्य वृद्धि का रोना भी रोया गया। जबकि मूल्य वृद्धि तो हुई ही नहीं, सस्ता जरूर हो गया।

2. विदेशी मुद्रा – भारत में 75 प्रतिशत तेल आयात होता है जिसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी पडती है। इसका सीधा असर हमारे भुगतान संतुलन पर पड़ता है। यदि हम आयात अधिक करेंगे तो बदले में हमें निर्यात भी अधिक करना होगा। यदि हमारा आयात महंगा हो जाय तब तो हालत और भी अधिक खराब होंगे क्योंकि आयात मूल्य और मात्रा मिलाकर गंभीर संकट पैदा कर सकते है। तेलों की मात्रा और मूल्य ने मिलकर ऐसा भुगतान असंतुलन का खतरा पैदा किया कि आवश्यक वस्तुओं का ज्यादा निर्यात करना हमारी मजबूरी हो गयी। इसका सीधा प्रभाव आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर पड़ा। किन्तु कोई भी राजनैतिक दल इस सच्चाई को स्वीकारने के लिये तैयार नहीं है। भारतीय तेल उत्पादक कंपनियॉ सिर्फ आन्तरिक घाटा ही पूरा कर सकती हैं जैसाकि आपने बताया भी है किन्तु विदेशी मुद्रा पर ये कंपनियॉ कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। इसका तो सिर्फ एक ही समाधान है कि या तो खपत कम करके आयात कम हो या विदेशी मूल्य कम हो। मूल्य कम करना हमारे वश में नहीं है और खपत को हम कम करना नहीं चाहते क्योंकि हमें चिन्ता है कि खपत कम करने का सीधा असर बुद्धिजीवियों तथा सम्पन्न वर्गो की सुख – सुविधा पर पड़ेगा जो हम नही चाहते। आखिर हम सब लोग भी तो उसी वर्ग से हैं बदले में आवश्यक वस्तु निर्यात का आसान रास्ता हमने खोज लिया है।

03. श्रम मूल्य – बुद्धिजीवियों तथा पूजीपतियों को अपनी सुख सुविधा के लिए अन्यत्र से ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है जिसके दो माध्यम है : **1.** मानवीय ऊर्जा **2.** कृत्रिम ऊर्जा। कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य निर्धारण करने का न्याय संगत तरीका यह है कि कृत्रिम ऊर्जा मानवीय उर्जा की पूरक हो प्रतिस्पर्धी नहीं। इसका सामान्य फार्मूला है कि एक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के आठ घंटे के शारीरिक श्रम का जो सामान्य मूल्य होता है उससे कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य कम न हो। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक काल में ऐसा ही सोच कर कृत्रिम ऊर्जा पर कर लगाये गये थे। ये कर यद्यपि कम ही

थे किन्तु दिशा ठीक थी। विकास की रफ्तार में श्रम मूल्य कुछ बढ़ा किन्तु कृत्रिम ऊर्जा का टैक्स यथावत है। उल्टे इन पर सब्सिडी देने की घातक परंपरा और शुरू हो गई जो आज तक जारी है।

न्याय संगत तरीका यह है कि शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम के मूल्य में भी अनुपात न्याय संगत ही हो अर्थात यदि बुद्धि का मूल्य पॉच गुना बढ़े तो शारीरिक श्रम का भी उसी अनुसार बढ़े। इसके लिए कृत्रिम ऊर्जा का भी तर्कसंगत मूल्य निर्धारण आवश्यक है। बुद्धिजीवियों तथा पूंजीपतियों ने महसूस किया कि कृत्रिम ऊर्जा मानवीय ऊर्जा की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है इसलिए श्रम और बुद्धि के अनुपात का ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी।

कृत्रिम ऊर्जा के तेल के अतिरिक्त अन्य ऊर्जा श्रोत –खनिज तेल का मूल्य निर्धारण में इस बात का पूरा–पूरा ध्यान रखा जाता है कि बिजली, सौर ऊर्जा आदि प्राकृतिक ऊर्जा श्रोत अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों। स्वाभाविक ही है कि यदि खनिज तेल महंगा होगा तो अन्य ऊर्जा श्रोतों का उत्पादन और खपत का बढ़ना भी निश्चित है। भारत में सौर ऊर्जा, गोबर गैस, जलाऊ लकड़ी बिजली आदि के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से खनिज तेलों का मूल्य निर्धारण नहीं हुआ। इसके विपरीत बिजली के उत्पादन वृद्धि में लगातार बाधाऍ ही पैदा की गयीं। भारत का बुद्धिजीवी या पूॅजीपति मानवीय ऊर्जा के उपयोग के चाहे जितना विरूद्ध हो किन्तु वह बिजली के विरूद्ध नहीं। खनिज तेल की अपेक्षा बिजली को वह बहुत अधिक पसंद करता है ।

फिर भी भारतीय राजनेता तथा पर्यावरण विद इस दिशा में बहुत सक्रिय रहते है। खनिज तेल की मूल्य वृद्धि रोकने में भी ये लोग पूरा जोर लगा देते हैं तथा बिजली उत्पादन को रोकने में भी इनकी सक्रियता देखते ही बनती है। यदि कहीं बिजली बनाने के लिए बांध बनाना हो तो सारे पर्यावरणवादी आसमान सिर पर उठा लेते हैं यदि परमाणु बिजली का समझौता होता है तो ये लोग भरपुर विरोध करते हैं। यदि कहीं लकड़ी का उपयोग हो तो इन्हें बेहद कष्ट होता है किन्तु खाड़ी देशों से डीजल पेट्रोल का आयात बढ़ानें में इन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। यदि भारत इरान गैस पाइप लाइन में देर होने लगे तो पर्यावरण विद भी पाईप लाईन के पक्ष में आवाज उठाने लगते हैं। वामपंथी तो खाड़ी देशों के सहज सुलभ वकील हैं ही किन्तु अन्य राजनेता भी किसी न किसी बहाने डीजल पेट्रोल की बहती गंगा में हाथ धोने में पीछे नहीं रहते।

5. लाभान्वित वर्ग – टैक्स का यह नियम है कि जो वस्तु गरीब लोग ज्यादा उपयोग करें उसे कर–मुक्त और अमीरों की वस्तुऐं कर–युक्त हों। भारत में इससे ठीक विपरीत हैं। यहां जो वस्तुऐं गरीब लोग ज्यादा उपयोग करें उन पर अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष सब्सिडी होती हैं जबकि जो वस्तु बड़े लोग ज्यादा उपयोग करें उन पर प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष सब्सीडी का प्रावधान होता है। कृत्रिम उर्जा का बड़े लोग अधिक और

गरीब लोग कम उपयोग करते हैं जबकि साइकिल, खाद्य तेल, दाले गरीब लोग अधिक और अमीर लोग कम उपयोग करते हैं। टैक्स लगाना हो तो साइकिल, दाल, खाद्य तेल पर लगेगा और कृत्रिम ऊर्जा पर सब्सीडी दी जाती है।

उपरोक्त पांचों आधारों पर हम कह सकते है कि भारत में कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि उचित है। यदि इनका मूल्य तेजी से बढ़ा दिया जाय तो डीजल, पेट्रोल गैस का आयात बहुत घट सकता है क्योंकि एक ओर तो इनकी खपत घटेगी दूसरी ओर सौर ऊर्जा, गोबर गैस, बिजली या अन्य श्रोत बहुत बढ़ जावेंगे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा।

मूल्य वृद्धि में एक स्वाभाविक संकट है कि जनमत विपरीत हो सकता है। इसमें भी एक राजनैतिक षडयंत्र है। सरकारें कृत्रिम ऊर्जा पर तो प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि करती है और लाभ प्रत्यक्ष नहीं देती। यदि दस पैसा दाम बढ़ा तो लोगों को प्रत्यक्ष नुकसान दिखता है। इस प्रणाली को बदल दें। मूल्य वृद्धि अप्रत्यक्ष हो और लाभ प्रत्यक्ष हो तो आम धारणा बदल सकती है। मूल्य वृद्धि के दो भाग करें। पुनर्मुल्यांकन और मूल्य वृद्धि । पुनर्मूल्यांकन को मुद्रा स्फीति के साथ जोड़ दें। यह वृद्धि अपने आप हो जायेगी और कोई हल्ला नहीं होगा। मूल्य वृद्धि अलग से करें और एक पृथक से ऊर्जा सब्सिडी कोष बनाकर प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्रति माह ऊर्जा सब्सीडी कोष बनाकर प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्रति माह ऊर्जा सब्सीडी के रूप में दे दें। आप कृत्रिम ऊर्जा पर जितना प्रतिशत मूल्य वृद्धि करेगें उतने प्रतिशत आबादी को एक हजार रूपया प्रति व्यक्ति प्रति माह यह सब्सीडी दी जा सकती है। कल्पना करियें कि आपने बीस प्रतिशत की मूल्य वृद्धि डीजल पेट्रोल बिजली गैस कोयला पर की तो आप बीस प्रतिशत आबादी को एक हजार रूपया प्रति माह मिलेगा। ये आंकड़े कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि आप शत–प्रतिशत मूल्य वृद्धि कर दें तो पूरी एक सौ दस करोड़ आबादी को एक हजार रूपया मासिक दे दें। अन्य अनेक प्रकार की सब्सीडी बन्द कर दें। यदि एक बार ऐसा कर दे तो आम नागरिक स्वयं की कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि की मॉग करने लगेगें। कुछ ही महीनों में खनिज तेल की खपत कम हो जायेगी इसका आयात भी कम हो जायेगा और आवश्यक वस्तुओं का निर्यात भी मजबूरी नहीं रहेगी। पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जायेगा। खाड़ी देशों के दलाल दलाली बन्द कर देंगे।

आपने जो तर्क दिया है वह तो मात्र एक तर्क है आप इसके पक्ष में अन्य तर्को का भी सहारा ले सकते हैं किन्तु ध्यान रहें कि इससे प्राप्त धन सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर देने से आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा। बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों, राजनेताओं तथा मीडिया वालों ने आम नागरिकों को विश्वास करा दिया है कि कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि गरीबों के लिए अहितकर है। इस असत्य विश्वास को तोड़नें के लिए हमें सूझबुझ के काम लेना होगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला जी भी काफी गंभीर है। आशा है कि आप इस संबंध में और लिखेंगे।

सर्वोदय प्रेस सर्विस के माध्यम से आपका लेख मिला इसके लिए सर्वोदय प्रेस सर्विस इन्दौर को भी धन्यवाद प्रेषित है।

(घ)श्री रामकृष्ण पौराणिक 7/187 वृन्दावन वार्ड सागर म0प्र0

आपका अंक 156 ज्ञान तत्व से संबंधित 20,21,22 सितम्बर 08 के राष्ट्रीय सम्मेलन का विशेष पत्र यथा समय प्राप्त हो चुका है और उसमें भाग ले सकने संबंधी अपनी शारीरिक असहमति के उल्लेख के साथ अपने विचार भी भेज रहा हूँ। सम्मेलन की परिधि में आवश्यक समझे तो रखने का प्रयत्न करे।

इतने शीघ्र दूसरा पत्र लिखने का प्रयोजन अंक 157 ज्ञान तत्व अंक 15 जुलाई से 31 जुलाई 2008 को पुनः पढ़ना तथा इसी अवधि में सर्वोदय जगत का अंक 23 वर्ष 31 जो जुलाई 16 से 31 जुलाई 2008 का है प्राप्त हुआ। जिसमें आचार्य राममूर्ति का सत्या ग्रह प्रयोगों के लिए खुला है भविष्य लेख पढ़ने को मिला। दोनो की प्रतिक्रिया स्वरूप यह द्वितीय पत्र वर्ष अधिवेशन से संबंधित मानकर लिख रहा हूँ।

वर्धा सम्मेलन की विषय सूची वर्तमान संदर्भ में निष्प्राण प्रतीत होती है। आपके इस लम्बें प्रयोग का सरकार या मीडिया पर तो कोई असर नही हुआ पर जिन प्रतिनिधियों और विचारों को पाठकों तथा आपकी यह लम्बी संघर्षपूर्ण यात्रा का संवाद पहुंचा उन पर कुछ असर अवश्य हुआ है और वे इस तथाकथित पवित्र संविधान को सर्वथा अपरिवर्तनशील मानने के विरूद्ध हठवादी नही रहे प्रतीत होते है। जन जागरण का श्रम सार्थक रहा है। मेरा यह मत है कि अब इस संघर्ष में अपनी संचित शंक्ति नष्ट न करें। अब देश की परिस्थितियॉ बदल चुकी है। जिनमें प्रतिनिधि वापसी का प्रस्ताव तो बिलकुल अप्रासंगिक हो गया है। हमारे जिले की एक नगरपालिका पंचायत दोनो पक्षें व स्वतंत्र सपा सदस्यों ने मिलकर अध्यक्ष के विरूद्ध सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तब अध्यक्ष पद शुन्य हो गया। अध्यक्ष ही स्थिति पर आज जनमत संग्रह द्वारा पुष्टि या अपुष्टि का प्रकरण आ गया। जनमत संग्रह हुआ और जनमत पुनः जनता द्वारा बहुमत से भ्रष्टाचार आई भतीजा बाद से ग्रस्त आरोपी अध्यक्ष के पक्ष में गया। ऐसा ही प्रतिनिधि वापसी का फल होगा दूसरे प्रस्ताव को विचारणीय महत्व प्राप्त हो सकता है परन्तु जिन्हें मत अधिकार मिलता है उन प्रतिनिधियों को हाल चाल आपने सरकार के पक्ष विपक्ष में हुए तमाशों में स्वयं देख लिए होंगे।

1.आतंकवाद **2.** महंगाई **3.** भ्रष्टाचार **4.** बढ़ती आबादी का बेरोकटोक प्रवाह (जिसे टोटको द्वारा रोकने की कसरत वर्षो से चल रही है), **5**. भारतीय राष्ट्रभावना का तिरोभाव लेकर साम्प्रदायिक उन्माद जातीय अहंकारों का बढ़ावा देने का राजनैतिक परपंच **6.** शाशायी एवं क्षेत्रीय अलगॉव 7. सरकार नामक तत्व की व्यर्थता का अभाव।

ये विषय विचार सूची की प्राथमिकता होना चाहिए और इनके समाधान के लिए गहन चिंतन मंथन करके गांधीवादी तरीके से अहिंसक सत्याग्रह चलाने का संकल्प होना चाहिए।

उत्तर — पत्र और सुझाव मिले। सेवाग्राम सम्मेलन अब 20,21,22, सितम्बर तीन दिन का हो गया है। मुझे अब भी उम्मीद है कि आप आने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि मेरे विचार में आपको यह प्रयत्न करना चाहिए। आपके सुझाव व्यावहारिक तथा विचार प्रधान होते है हम इस आधार पर विचार मंथन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। टालने की बात आपके मन में नही आनी चाहिए।

रामानुजगंज का प्रयोग न तो शासन को समझाने के लिए था ना ही मीडिया के लिए। मीडिया तो एक व्यावसायिक माध्यम है इसलिये उससे कोई उम्मीद थी ही नहीं। शासन हमारा विरोधी पक्ष था इसलिए उसने हमारे विरूद्ध प्रचार शुरू किया। समाज द्वारा यह प्रयोग कहीं और करना संभव नहीं क्योंकि कोई निर्वाचित अध्यक्ष ही अपने कार्यक्षेत्र में यह प्रयाग कर सकता है। स्वाभाविक है कि कोई अधिकार प्राप्त व्यक्ति ऐसा करेगा नहीं। प्रयोग का हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था जैसी आपने उम्मीद की। प्रयोग का उद्धेश्य मात्र यह सिद्ध करना था कि राजीनति और राजीनतिज्ञ यदि समाज के सामाजिक मामलों के समाधान में कानूनी हस्तक्षेप कर करके यह मामाल समाज पर छोड़ दें तो अनेक समस्यायें कम भी हो सकती हैं और सुलझ भी सकती हैं। हमने रामानुजगंज में संवैधानिक शक्ति प्राप्त कर के समाज में अपना हस्तक्षेप कम कर दिया तो कुछ तो समस्याओं का उत्पादन रूका और कुछ समस्याऐं सुलझ गयी। हमने रामानुजगंज के प्रयोगों से सिद्ध किया है कि समाज की सामाजिक समस्याओं के समाधान में कानूनी हस्तक्षेप बाधक हैं। ऐसे हस्तक्षेप से मुक्ति हमारा पहला कार्य होना चाहिए। यदि वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था ऐसे हस्तक्षेप से आंशिक मुक्ति हेतु भी सहमत न हो तो ऐसी व्यवस्था का शत्रु पक्ष घोषित करके उसके विरूद्ध आन्दोलन करना चाहिए। सेवाग्राम सम्मेलन ऐसे आन्दोलन की शुरूआत है। प्रयोग की सफलता प्रत्यक्ष दिखने के बाद भी जब न तो व्यावसायिक मीडिया झुका न राजीनतिज्ञों ने कुछ समझा तो अंतिम मार्ग है आन्दोलन जिसका हम आह्वान कर रहें है। राइट टू रिकाल कोई समाधान नहीं है। आपने ठीक ही लिखा है। यह तो राजनेताओं में आंशिक भय का आधार मात्र ही हैं पूरे आन्दोलन की मारक और निर्णायक शक्ति तो परिवार गांव जिले के अधिकारों की सूची बना कर उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान करने से ही है। इससे राज्य की शक्ति और हस्तक्षेप कम होगा तथा राज्य द्वारा पैदा की जाने वाली समस्याएॅ अपने आप कम हो जायेगी। जब राज्य का हस्तक्षेप कम हो जायेगा तो हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान भी कर लेंगें। मैंने पिछले 52 वर्षो से लगातार एक ही बात कही है जब तक शासन और समाज के बीच की दूरी कम नहीं होगी तब तक परिणाम विपरीत ही होंगें। मेरे 52 वर्षो के बाद भी राममूर्ति जी या आप या ऐसे अनेक लोग यदि गाय की रोटी खा रहें कुत्ते को भगाने का काम न

करके और ज्यादा प्रयत्नों से रोटी बनाने का प्रयत्न कर रहे हो तो मैं क्या करूँ। गाय मरणासन हो रही हैं जिसका रोना तो आप सब रो रहें है पर कुत्ता भगाने के लिए तैयार नहीं है। समस्या इतनी तक ही नहीं है। सच्चाई यह है कि यदि हम लोग कुत्ते के विरूद्ध कुछ करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों की सोच किसी न किसी रूप से रोटी अधिक बनाने के लिए हमें समझाने में लग रही है। जिस तरह साठ वर्षो तक आपने या राममूर्ति जी ने पूरी ताकत और ईमानदारी से भूसा कुछ है वह और 10–20 साल तक कूटते रहिए। जब उसमें दाना है ही नही तो दाना निकलेगा ही नहीं भले ही भूसा कुछ उड़ कर कम क्यों न हो जावे। किन्तु आपसे निवेदन है कि अब सक्रिय और शासनमुक्ति की गांधीवादी राह पर नये प्रयत्न करने वालो का अपनी पुरानी असफल परिणाम वाली राह से हटकर कुछ नये प्रयोग करने हेतु मार्गदर्शन करिये, प्रोत्साहित करिये या कम से कम उन्हें भटकाइयें मत। आपने जो समाधान बताये है वे सातों आप लोग करिये और मैं आपके प्रयत्नों में न पहले बाधक था न अब। किन्तु मैंने तय किया है कि नाव की रस्सी खोले बिना अब मैं चप्पू चलाने का समर्थन नहीं करूँगा।

आपने जो सात प्राथमिकताऐं लिखी है ये तब तक कम नही होगी जब तक राज्य पर अंकुश नहीं होगा। शासनमुक्ति आन्दोलन से समाधान की बाधा दूर होगी और तब कुछ राह बनेगी।

मुझे पूरी उम्मीद है की आप मेरे कटु उत्तर से नाराज होकर चुप बैठने की अपेक्षा या तो मुझे इस संबंध में आगे तर्क पूर्ण उत्तर देगें या इस आन्दोलन में अपनी भूमिका तय करेंगे। जो लोग इस सम्मेलन के माध्यम से समाज मे व्याप्त समस्याओं का समाधान खोजना चाहेगें उन्हें इस आन्दोलन में समय शक्ति नहीं लगानी चाहिए। कैंसर के अस्पताल में टीबी का डाक्टर अपनी और अस्पताल की शक्ति क्यों खर्च करे । समाज निर्माण, चरित्र निर्माण समस्या के समाधान आदि को हम शासनमुक्ति के बाद का चरण मानते है और यह आन्दोलन प्रथम चरण पर विचार करने के लिए हैं न कि दूसरे चरण की। यदि आपको लगे कि गांधीजी की कहीं हुई शासनमुक्ति की बात गांधीजी की कही हुई अन्य बातों से ज्यादा प्राथमिक हैं तो आपको इस सम्मेलन में आना चाहिए। अन्यथा गांधीजी की कही हुई अन्य अनेक बाते आप को ज्यादा जरूरी लगें तो जैसा साठ वर्षो से चल रहा हैं उसे और जोर से चलाइऍं।

मुझे उम्मीद है कि आप अपने पत्र पर फिर से सोचेंगे।